

Mr. Speaker: That is a matter of opinion.

Shri Nambiar: The emergency has ended.

Mr. Speaker: Let it be debated separately, not now.

Shri Nambiar: Let us know what the hon. Minister has to say about this

12.36 hrs

ALLOCATION OF SEATS

श्री यशपाल सिंह (देहरादून) अध्यक्ष महोदय, मुझे आप की सेवा में कुछ निवेदन करना है। आप जैसे न्यायमूर्ति स्पीकर के रहते हुए मेरे साथ बेइसाफी नहीं होनी चाहिए। मैं पिछले पाच सालों में इस हाउस में एक मिनट के लिए भी गैर-राजिब नहीं हुआ हूँ और जब से बैठक शुरू होती है तब से लेकर सदा अंत तक यही मौजूद रहता हूँ। हजारों वक़्तों में मैंने भाषण किये हैं, प्रस्ताव आदि पेश किये हैं और प्रश्न किये हैं। जिस तरीके से एक पुजारी मंदिर में जाया करता है उसी श्रद्धा और निष्ठा के साथ मैं यहाँ सदन में आता हूँ। मैं पहले दूसरी कतार में बैठा था लेकिन अब मुझे आप को पाचवी कतार में स्थान दिया गया है। इससे ज्यादा बेइसाफी मेरे साथ और कोई नहीं हो सकती। जेलखाने तक में हार्ड वर्क का क्रेडिट मिलता था लेकिन यहाँ पर मुझे हार्ड वर्क का क्रेडिट नहीं मिल रहा है। मुझे इसकाफ दिया जाय और मैं जो दूसरी कतार में बैठा करता था उसे कायम रखा जाय या फ़ट रो में मुझे रखा जाय लेकिन मुझे

पाचवी रो में जगह दी गयी है। मुझे भाषा है कि आप के स्पीकर रहते हुए मेरे साथ ऐसी बेइसाफी नहीं हो सकती। अगर दल की कोई बात हो तो मैं कांग्रेस के सिवाय हर एक दल में बैठने के लिए तैयार हूँ लेकिन जैसा मैंने कहा मुझे या तो पहले जैने दूसरी कतार में बैठाया जाय या फ़ट कतार में जगह दी जाय और यदि कांग्रेस के अलावा किसी दूसरे दल में इसके लिए जाना पड़ता है तो आप मुझे सजैश्ट कीजियेगा।

12.37 hrs

RE WRIT PETITION AGAINST SPEAKER AND MEMBERS OF THE COMMITTEE OF PRIVILEGES

Mr Speaker: During the last Lok Sabha, on the 12th August, 1966, Sarvashri Tridib Kumar Chaudhuri and Madhu Limaye, Members of Parliament, had raised a question of privilege, alleging, *inter alia*, that on the 9th August, 1966, when they reached Patna Air Port, the Bihar Police served an externment order on them under the Bihar Maintenance of Public Order Act, 1949, directing them to leave the State of Bihar within one and half hours, but kept them in virtual arrest and detention in the V I P Room Patna Air Port, without any criminal charge and prevented their free movement during the said one and half hours period although they were free to move about in Bihar without any restraint for that period in terms of the externment order served on them.

On the 18th August, 1966, the House referred the matter to the Committee of Privileges.

The Committee of Privileges, before arriving at their conclusions, decided to examine among others, Shri B.N.P. Kumar, Deputy Superintendent of Police, Patna who had served the externment orders on Sarvashri Tridib